जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 31 संख्याः 326 प्रभात उदयपुर, शनिवार 28 सितम्बर, 2024 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भाजपा में भारी हड़कम्प: नड्डा के बाद संजय जोशी पार्टी के अध्यक्ष होंगे!

आर.एस.एस. के प्रमुख मोहन भागवत ने संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने का निर्णय ले लिया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है क्योंकि आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी का नाम आगे किया है। नागपुर के बांसठ वर्षीय संजय जोशी ने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। अविवाहित जोशी संघ के पूर्णकालिक प्रचारक हैं। जोशी को 2005 में तब भाजपा से निकाल दिया गया था जब एक महिला के साथ उनके विवादास्पद लिंक की एक सीडी वायरल हुई थी।

चर्चा है कि आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत जे.पी. नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद संजय जोशी को भाजपा का अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। नड्डा का कार्यकाल इस वर्ष के अंत में खत्म हो रहा है। दो अन्य नाम भी चर्चा में हैं। ये हैं केन्द्रीय मंत्री व मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। आर.एस.एस. ने दोनों नाम ठुकरा दिए हैं तथा यह जोशी को इस पद पर देखना चाहता है क्योंकि जोशी भाजपा के संगठन महामंत्री के पद पर काम करने का अनुभव है, इससे पहले वे गुजरात में भाजपा के संगठन महामंत्री थे।

- भागवत के सामने दो और विकल्प, मध्य प्रदेश के पूर्व मु.मंत्री शिवराज सिंह चौहान व राजस्थान की पूर्व मु.मंत्री वसुंधरा राजे के नाम भी प्रस्तुत किये गये, पार्टी के नये अध्यक्ष के लिये।
- पर, मोहन भागवत ने, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के संगठन मंत्री के उनके अनुभव को ध्यान रखते हुए, संजय जोशी का चयन किया है।
- जोशी ने नागपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी तथा वे आर.एस.एस. के पूर्णकालीन प्रचारक हैं व अविवाहित हैं।
- 2005 में एक फर्जी वीडियो प्रचारित हुआ था, जिसमें संजय जोशी को एक महिला के साथ ''कॉम्प्रोमाइज़िग पोज़ीशन'' में दिखाया गया था, जिसके बाद संजय जोशी को भाजपा से निष्काशित कर दिया गया था।
- एक समय था, जब प्र.मंत्री मोदी व संजय जोशी निकटस्थ मित्र थे तथा जोशी गुजरात के संगठन मंत्री थे लेकिन, अनबन के बाद मोदी को दिल्ली भेज दिया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर महामंत्री मंत्री बनाकर।
- 2005 में जब मोदी मुख्यमंत्री बने तो जोशी को दिल्ली भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने संगठन मंत्री के रूप में अच्छी भूमिका निभायी थी, अतः उन्हें अब अध्यक्ष बनाने की बात भागवत ने कही है।

जोशी और मोदी कभी घनिष्ठ मित्र थे, पर मोदी समर्थकों ने 17 साल पहले दोनों के बीच मतभेद करवा दिए उसके बाद मोदी ने जबरन जोशी को वनवास दे दिया। जोशी गुजरात में भाजपा के संगठन मंत्री के रुप में बेहद सफल साबित हुए और उनके समय में ही

(शेष पृष्ठ 3 पर)

मातृभूमि के श्रेयांश कुमार आई.एन.एस. के अध्यक्ष निर्वाचित

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। समाचार पत्र प्रकाशकों की सर्वोच्च संस्था इण्डियन न्यूज़ पेपर सोसायटी की 85वीं वार्षिक जनरल मीटिंग में वर्ष 2024-25 के लिए मातृभूमि के एम.वी. श्रेयांश कुमार को अध्यक्ष चुना गया है वे आज समाज के राकेश शर्मा को स्थान लेंगे। सन्मार्ग के विवेक गुप्ता डिप्टी प्रैसिडैंट, लोक मत के करण राजेन्द्र दर्डा वाईस प्रैसिडैंट व अमर उजाला के तन्मय माहेश्वरी कोषाध्यक्ष चुने गए हैं।

- वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए हुई 85वीं जनरल मीटिंग में राष्ट्रदूत साप्ताहिक के सोमेश शर्मा कार्यकारिणी सदस्य चुने गये हैं।

वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए हुई इस वार्षिक बैठक में राष्ट्रदूत साप्ताहिक के सोमेश शर्मा सहित 41 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर

भाजपा नेता इसे अफवाह बता रहे हैं, पर, सुनील जाखड़ मौन हैं

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों से ठीक पहले, पंजाब भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के सुनील जाखड़ के प्रस्ताव से भगवा पार्टी के समक्ष एकाएक चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। जाखड़ के इस कदम को भगवा दल के अन्दर 'अन्दरुनी' (स्थानीय) बनाम 'बाहरी' की बढ़ती जा रही लड़ाई के संकेत के रुप में देखा जा रहा है।

राज्य के भाजपा नेताओं ने, जाखड़ के इस्तीफे की अफवाहों को खारिज करते हुये, इसे ''विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार'' बताया है। जाखड़ के सचिव ने भी इस खबर का खंडन किया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया में चल रहीं उनके त्यागपत्र की चर्चाओं के बीच, जाखड़ स्वयं खामोशी धारण किये हुये हैं।

भाजपा में जाखड़ की शुरुआत खराब नहीं थी। मई 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ समय बाद ही वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लिये गये थे तथा उसके बाद उन्हें पदोन्नत कर, पंजाब भाजपा अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन उनका भाजपा में शामिल होना बहुत सहज और निर्विघ्न नहीं रहा था। वे तथा कांग्रेस से आये अन्य लोग भी भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवकों के प्रतिरोध का सामना करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों में, भाजपा पंजाब में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन जाखड़ खेमे को इस तथ्य से संतोष अनुभव हो रहा था कि पार्टी का वोट शेयर, जो 2019 में 9 प्रतिशत था, 2024 में बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो गया था। लेकिन उनके

- अगले माह होने वाले पंचायत चुनावों को देखते हुए इस चर्चा ने भाजपा के समक्ष चुनौती खड़ी कर दी।
- वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं लोकसभा स्पीकर, स्व. बलराम जाखड़ के पुत्र सुनील जाखड़ ने मई 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी, तुरंत ही उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया, फिर पंजाब भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया।
- भाजपा में सुनील जाखड़ को इस शुरुआती सफलता को भाजपा के संघ पृष्ठभूमि वाले नेता स्वीकार नहीं कर पाए, जाखड़ शुरु से ही उनके निशाने पर हैं।
- जाखड़ ने उपेक्षा का आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ी थी और उन्हें लगता है कि भाजपा में उनकी अवहेलना हो रही है। रवनीत सिंह बिट्टू को केन्द्रीय मंत्री बनाना भी जाखड़ की नाराज़गी का कारण है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

'सी.बी.आई. को प्रारंभिक जाँच करने का आदेश नहीं दे सकता हाई कोर्ट'

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में सी.बी.आई. जाँच के लिए दिए गए कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्राथमिक जाँच सी.बी.आई. से कराने के निर्देश दिये गये थे। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के निर्देश बहुत ही असाधारण मामलों में दिये जाते हैं, और वो भी उस समय, जब उच्च न्यायालय राज्य की जाँच को पक्षपातपूर्ण मानने के कारण भी रिकॉर्ड पर लेता है।

उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, अपने अधिकारों को काम में लेते हुये जाँच का काम सी.बी.आई. को सौंप तो सकता है लेकिन ऐसा करने के लिये, उसे इस बात का कारण देना होता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि राज्य पुलिस द्वारा की जा रही जाँच निष्पक्ष नहीं है। केवल कुछ पत्रों के आधार पर, इस प्रकार की कवायद न्यायसंगत सिद्ध नहीं हो जाती। एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश को देखने पर यह उजागर होता है कि ऐसा कोई हल्का सा भी संकेत नहीं है कि न्यायालय ने ऐसा क्यों मान लिया कि राज्य द्वारा कराई जा रही जाँच पक्षपातपूर्ण है जिससे सी.बी.आई. द्वारा जाँच किये जाने के निर्देश देना आवश्यक प्रतीत हुआ। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बैंच ने कहा, ''इन्हीं कारणों से, विद्वान डिवीजन बैंच द्वारा पारित आदेश कानूनन मान्य नहीं है।''

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की कि सिर्फ दुर्लभतम केस में ही हाई कोर्ट सी.बी.आई. को प्रारंभिक जाँच के आदेश दे सकता है और इसके लिए हाई कोर्ट को कारण बताना होगा कि राज्य प्रशासन की जाँच गलत व पक्षपाती है।

संदेहस्पद आदेशों, जिनके जरिये प्राथमिक जाँच सी.बी.आई. को सौंप दी गई, को रद्द करते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिये कि उच्च न्यायालय के एकल जज संदर्भित रिट पिटीशन पर कानून के अनुसार निर्णय लेंगे। संक्षेप में, एक रिट पिटीशन उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, (जी.टी.ए.) में वॉलंटरी शिक्षकों की भर्ती एवं नियमितीकरण से सम्बंधित कई मुद्दे

(शेष पृष्ठ 3 पर)

'कांग्रेस एक जमीन से जुड़ी पार्टी है'

भाजपा ने कांग्रेस पर कटाक्षों की बौछार की, कर्नाटक सरकार द्वारा सी.बी.आई. को राज्य में बिना सरकार की इजाज़त किसी भी मामले की जाँच करने का अधिकार वापस से लेकर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को संबोधित किया और सी.बी.आई. को जाँच के लिए दी हुई सहमति वापस लेने की आलोचना की, उन्होंने कहा कर्नाटक में कांग्रेस एम.यू.डी.ए. (मैसूर अरबन डवलपमैंट अथॉरिटी) के जमीन घोटाले की जाँच नहीं कराना चाहती है इसलिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के नैतिक आधार पर सवाल उठाया।

पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं चला रही है बल्कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार के भाईजान हैं, मीडिया को धमकी की दुकान और एस.सी. समाज के राज्यपाल के अपमान करने की दुकान चलाते हैं।

उन्होंने कांग्रेस के ''जमीन से जुड़ी पार्टी'' होने के दावे की खिल्ली उड़ाई और कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। यह एस.सी./एस.टी. को आवंटित जमीन अपने लोगों को आवंटित कर देती है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का मुख्य कार्य बस लूटना ही होता है।

कानून से बचने के लिए इसने सी.बी.आई. जाँच के लिए दी गई सहमति भी वापस ले ली। उनका संकल्प सिर्फ भ्रष्टाचार के प्रति है और जब उनके खिलाफ जाँच शुरू करने की अनुमति दी गई तो इन्होंने सी.बी.आई. को दी गई सहमति वापस ले ली, बिल्कुल ''प्रोफेशनल चोर'' की तरह काम किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस पार्टी पहले चोरी करती है, फिर

- भाजपा ने व्यंग्य किया कि कांग्रेस ''मोहब्बत की दुकान नहीं चला रही,'' बल्कि अब ''भ्रष्टाचार की भाईजान है'' व ''मीडिया को धमकी की दुकान है'' तथा, ''एस.सी. समाज के राज्यपाल का अपमान करने की दुकान है।''
- प्रवक्ता के अनुसार, कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो एस.सी./एस.टी. समाज की जमीनों को अपने रिश्तेदारों के नाम करना उसका मुख्य काम होता है और कानून से बचने के लिये, वह उस इजाज़त को भी वापस ले लेती है, जो उसने स्वयं सी.बी.आई. को राज्य में तहकीकात करने के लिए दे रखी थी।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

गजेन्द्र सिंह फोन टैपिंग मामले की जाँच दिल्ली पुलिस करेगी

जयपुर, 27 सितंबर। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में राज्य सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी और वे भी इसमें सहयोग करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओ.एस.डी. रहे लोकेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से ए.ए.जी. शिवमंगल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकारिक तौर पर इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से जांच करने संबंधी मुकदमा वापस ले लिया है। ऐसे में उन्हें इस केस में दिल्ली पुलिस की ओर से जांच करने पर कोई भी आपत्ति नहीं है और वह भी उन्हें सहयोग करेगी।

वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने कहा कि मामले की परिस्थितियों में बदलाव हो गया है। ऐसे में इस पिटिशन में सुनवाई के लिए कुछ नहीं रहा है। इस मामले में उन्हें जांच कार्रवाई आगे करनी है, इसलिए जल्द सुनवाई की जाए। अदालत ने राज्य सरकार व दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई 14 नवंबर को तय की। गौरतलब है कि इस मामले में गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के ओ.एस.डी. लोकेश शर्मा के खिलाफ मार्च 2021 में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी। इस मामले में लोकेश शर्मा ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले में लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा रखी है।

- राजस्थान सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को विश्वास दिलाया है कि वह दिल्ली पुलिस की जाँच में पूरा सहयोग करेगी।

एकल, सरलीकृत जीएसटी कांग्रेस की गारंटी : राहुल

नयी दिल्ली, 27 सितम्बर (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को अत्यधिक जटिल बनाकर रखा है जिसने अर्थव्यवस्था की जान, छोटे और लघु उद्योगों की क्षमता को कुचल कर रख दिया है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने पर जीएसटी को सरल बनाया जाएगा।

- सोशल मीडिया पर राहुल गाँधी ने इसे विचित्र गब्बर सिंह टैक्स करार दिया।

गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जीएसटी को विचित्र गब्बर सिंह टैक्स करार देते हुए कहा है कि यह एमएसएमई की लाभप्रदता और उत्पादन क्षमता को कुचल रहा है।

उन्होंने कहा, इससे अधिक परेशान करने वाली और क्या बात हो सकती है। संघर्षरत छोटे व्यवसाय मालिकों की वाजिब समस्याओं को हल करने की

(शेष पृष्ठ 3 पर)

क्या नायडू ने तिरुपति लड्डू की अशुद्धि का विवाद खड़ा करने से पहले इसकी पेचीदगियां समझ ली थीं?

क्योंकि इस समूचे विवाद में कई संदेह जताए जा रहे हैं

-लक्ष्मण वेंकट कूची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 सितम्बर। तिरुपति लड्डू कथित रूप से पशु चर्बी से दूषित होने के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और यह मुद्दा आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि देश के बाकी हिस्सों में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक अत्यधिक भावनात्मक मुद्दा बन गया है।

लेकिन तेलुगू देशम पार्टी (टी.डी.पी.) सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरु किए गए तथा उनके गठबंधन पार्टनर व उपमुख्यमंत्री, फिल्म स्टार पवन कल्याण द्वारा प्रमुखता से शिखर पर पहुँचाए गए इस विवाद को ध्यान से समझने पर इसमें कई कमियाँ नज़र आती हैं।

- पहला संदेह तो यह ही है कि जब जुलाई में ही लड्डू में पशु चर्बी मिलावट की रिपोर्ट आ गई थी तो सितम्बर में जाकर यह विवाद क्यों खड़ा किया गया।
- यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि लड्डू की जाँच एक ही लैब में क्यों करवाई गई और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की किसी लैब में जाँच क्यों नहीं हुई?
- निष्पक्ष विश्लेषक पूछ रहे हैं कि जैसा टी.टी.डी. ने दावा किया है कि तमिलनाडू की कंपनी से चार टैंकर दूषित घी के आए थे, पर, उनका प्रसादम में इस्तेमाल नहीं किया गया, अगर ऐसा था तो रेड्डी दोषी कैसे हैं।
- इस विवाद के बीच रेड्डी ने तिरुपति मंदिर जाने की घोषणा की तो नायडू, पवन कल्याण ने कहा, वे घोषणा करें कि उनकी वेंकटेश्वर स्वामी में आस्था है। वैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जगनमोहन के पिता जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यह घोषणा की थी, सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रपति स्व. ए.पपी.जे. कलाम भी ऐसा कर चुके हैं।

घटनाक्रम तथा बालाजी मंदिर के संचालक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के परस्पर विरोधी वक्तव्यों ने आंध्र प्रदेश की नई सरकार को इस विवाद के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। कई ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर मिलना जरूरी हो गया है। पहला, यदि लैब को भेजे गए सैम्पलों का लैब टैस्ट जुलाई में हुआ तो लैब टैस्ट की रिपोर्ट सितंबर के उत्तरार्ध में सार्वजनिक क्यों की गई। यह भी कि केवल एक ही लैब को सैंपल क्यों भेजे गए, अन्य लैब्स को क्यों नहीं, और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की किसी लैब को क्यों नहीं भेजे गए।

फिर, टी.टी.डी. के विरोधाभासी दावे भी हैं, जिनमें कहा गया कि तमिलनाडू की एक फर्म द्वारा सप्लाई किए गए घी के चार टैंकरों में मिलावट पाई गई और इन टैंकरों

(शेष पृष्ठ 3 पर)

syngenta

सूचना धोखाधड़ी की चेतावनी

सर्वसाधारण को इस सूचना के द्वारा अवगत कराया जाता है कि कुछ धोखेबाज व्यक्ति अवैध रूप से नकली वेबसाइट का प्रयोग करके सिंजेंटा (Syngenta) के नाम पर लोगों को पैसा निवेश करने और उन्हें पर्याप्त लाभ का आश्वासन देते हैं। इस धोखाधड़ी वाली योजना को 'SyngentaINr.com', 'Syngenta TopIn.com', 'SyngentaIndia.uk', व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल जैसे डोमेन नामों के माध्यम से उनके अवैध लाभ के लिए 'पोंजी' योजना के रूप में प्रधारित किया जाता है। सिंजेन्टा इंडिया निवेश और रिटर्न के संबंध में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं पेश करता है। इसलिए, आम जनता को सिंजेन्टा के नाम और ब्रांड का दुरुपयोग करके चलाई जा रही ऐसी किसी भी अवैध पोंजी योजना में अपना पैसा निवेश करने के प्रति सावधान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की 'पोंजी' योजनाओं का हवाला देकर सिंजेन्टा के नाम का दुरुपयोग करके पैसे स्वीकार करता है, उसे कानून का उल्लंघन करने वाला और भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ-साथ ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत दंडनीय अपराध करने वाला माना जाएगा। सिंजेन्टा इंडिया ने ऐसी पोंजी योजनाओं से जुड़े किसी भी व्यक्ति की पहचान करने और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पहले ही उचित कानूनी कदम उठाए हैं। इसलिए आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे 'सिंजेन्टा' के नाम पर संचालित की जा रही उक्त पोंजी योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के बारे में तुरंत पुलिस विभाग के साइबर सेल को सूचित करें।

Syngenta India Pvt. Ltd.